पत्रांक–03 / बि0वि0प0 (तारां0)–90 / 2024................. / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

चितरंजन शर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15 दिनांक...................

विषयः– प्रो. गुलाम गौस, माननीय सदस्य, बि0वि0प0 के द्वारा बिहार विधान परिषद् द्वारा आगामी सत्र में में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–01 / 208 / 405 के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपयुर्क्त विषयांकित प्रश्न की सामग्री आपके विभाग से संबंधित है। प्रश्न सामग्री को सानुलग्नक प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्रश्न से संबंधित उत्तर सामग्री अपने स्तर से तैयार करते हुए बिहार विधान परिषद्, सचिवालय, बिहार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

इसकी सूचना बिहार विधान परिषद्, सचिवालय, बिहार को दी जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–
(चितरंजन शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–03 / बि0वि0प0 (तारां0)–90 / 2024 3987 / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 27/11/24

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद्, सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-11-2024
(चितरंजन शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

27/ L@BVPN

1

बिहार विधान परिषद् प्रश्न
Bihar Legislative Council
208 Winter Session

STARRED QUESTION

Starred D. No.
1/208/405

Received Date
18/11/2024

50-3
21-11-24

Notice of Admission sent on:
21/11/2024

Sent Date to Department
21/11/2024

Subject: सार्वजनिक कुआँ का पुनरूद्धार
Member: Prof. Gulam Gaus(Legislative Assembly)
Department: Environment, Forest and Climate Change

क्या मंत्री, Environment, Forest and Climate Change विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सिहंवाड़ा प्रखण्ड के नगर पंचायत सिंहवाड़ा के वार्ड-10 के खुर्द मनिहास गाँव में जामा मस्जिद के निकट सदियों पुराना एक सार्वजनिक कुँआ था, जिससे नमाजियों तथा गाँव के समस्त लोगों द्वारा पानी निकाल कर उपयोग किया जाता था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कुँआ पर दबंग ,एवं असामाजिक प्रवृति के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर उसके ऊपर पक्का घर बना लिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सार्वजनिक कुँआ का विवरण पुराना नक्शा में मौजे सिंहवाड़ा, थाना न०-98, अंचल-सिंहंवाड़ा, पुराना खेसरा न०-6902, नया खेसा ज०-9931/10744 तथा कुँआ का नया न०- 9944, रकबा चबूतरा सहित लगभग 10 मीटर गोलाई दर्शाया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पूरे राज्य के सभी जल स्त्रोतों के साथ उक्त सार्वजनिक कुआँ को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए पुनरूद्धार कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नही तो क्यो?

यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न पीडीएफ है, इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

6633
22/11/24